431

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1998 (चैत्र 4, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, मछली पालन एवं डेयरी विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित भोपाल (समापनाधीन) समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज्ज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 35 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर एवं दुर्ग जिले में मलेरिया व पीलिया के प्रकोप से अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लल्लूसिंह, सदस्य, शहडोल जिले में स्थित हुकुमचन्द जूट मिल की पाइप लाइन से गैस का रिसाव होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) कस्बा लहार स्थित मिनी आय.टी.आय. कालेज में शिक्षकों की व्यवस्था कराये जाने ;
(ख) कस्बा लहार स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उद्योग एवं कृषि विषय की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने ; एवं
(ग) ग्राम जैतपुरा मद्दी को तहसील मिहोना से हटाकर तहसील रौन में सम्मिलित कराये जाने ; तथा

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मझगवां के भूमिहीन कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 4 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 1997-98 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

निर्धारित समय

" दिनांक 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32, 33,35,36,38,39,41,44,45,47,48,49,50,54,55,56,57,61,64,65,66,67,70,72,79, 80,81 तथा 88 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः सौ उनतालीस करोड़, पांच लाख, छियासठ हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे 30 मि. (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 (क्रमांक 3 सन् 1998) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 1 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (3) श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 2 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 मार्च, 1998

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .